

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक – 19.10.2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SBCWP NO. 5500/2020 सोहनलाल व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा विभिन्न सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में वरिष्ठ अध्यापक-हिन्दी (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 12.03.2020 के अन्तर्गत प्रशासनिक कारणों से रोके गये 19 अभ्यर्थियों का परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:-

1. निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थियों को प्राप्तियों के आधार पर मुख्य मेरिट सूची में अस्थाई रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

S.No.	R. No.	Name	CTG	Merit No	Selection Type
01	486261	Sarita	GE,WE	33	GENM
02	487942	Bheru Singh	GE,RG	133	GENM
03	485785	Sohan Lal	BC	147	GENM
04	487303	Bhanwar Lal	BC	397	GENM
05	491628	Ghamanda Ram Choudhary	BC	671	GENM
06	486405	Pappy	BC,WE	787	OBCF

2. निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थियों को प्राप्तियों के आधार पर आरक्षित सूची में अस्थाई रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

S.No.	R. No.	Name	CTG	Merit No	Selection Type
01	486095	Ram Chandra Choudhary	BC	R-55	GENM
02	486973	Chandana Ram Saran	BC	R-369	OBCM
03	488419	Prabhu Ram	BC,EX,RG	R-751	OBCM-EX

नोट:-

1. उक्त अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर उसे 02 प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां दिनांक 22.10.2020 को सायं 06.00 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में जमा करवा दें।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SBCWP NO. 5500/2020 व सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय में उक्त परिणाम के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-
Their appointments shall, however, remain subject to the fate of acceptance/rejection of the FR, which has been filed by the Investigation Officer in relation to FIR No. 231/2018 dated 02-11-2018.
Appointment orders issued to the petitioners shall contain a note to this effect and the State shall obtain an undertaking from each of the candidates being offered appointment that their appointments shall remain subject to the result/outcome of the FIR and/or any further order to be passed by the competent Court in this regard.
3. प्रशासनिक कारणों से रोके गये सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तियों आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जा रहे हैं।

(शुभम् चौधरी)
सचिव